भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-990

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति

990. श्री देवेश शाक्यः
श्री विजय बघेलः
श्री जगदम्बिका पालः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्रीमती लवली आनंदः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के आंवला, बदायूं और कासगंज जिलों में देखे गए विशिष्ट प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कार्यान्वित, सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध उपायों के माध्यम से समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कितनी कमी आई है और स्थानीय स्तर पर विद्युत आपूर्ति और बिलिंग क्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाने में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हां, तो आंवला, बदायूं और कासगंज में तत्संबंधी क्षेत्र-वार और मीटर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन उपायों से राजस्व संग्रहण, उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता और निर्बाध विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार वितरण यूटिलिटी स्तर पर वित्तीय एवं प्रचालनात्मक मानकों की निगरानी करती है, जिसकी गणना उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणियों के आधार पर की जाती है। दिनांक **31.03.2025** की स्थिति के अनुसार डिस्कॉमवार प्रमुख वित्तीय मानकों का ब्यौरा **अनुबंध** पर संलग्न है।

(ग) से (ङ) : (i) वितरण यूटिलिटी की प्रचालनात्मक दक्षता एवं वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरूआत की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना से संबंधित 2.83 लाख करोड़ रू. के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ii) स्मार्ट मीटरिंग से उपभोक्ताओं के साथ-साथ वितरण यूटिलिटी को भी लाभ होता है। यह स्वचालित ऊर्जा लेखांकन को सक्षम बनाती है तथा बिलिंग एवं संग्रह दक्षता में सुधार के माध्यम से डिस्कॉम के राजस्व संग्रह को सुदृढ़ करती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्यों के क्रियान्वयन से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

(iii) वित्त वर्ष 2024 के अंत तक देशभर में कुल 1.05 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए तथा वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 2.58 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए। स्मार्ट मीटरों की स्थापना दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अब तक देशभर में कुल 5.4 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

अपेक्षित जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिला	**मीटर संस्थापना की स्थिति**	**उपभोक्ता**	**डीटी**	**फीडर**
कासगंज	स्वीकृत (सं.)	2,06,771	5,445	86
	संस्थापित	81,423	1,374	101
बदायूं	स्वीकृत (सं.)	3,29,651	51,025	96
	संस्थापित	43,661	4,873	360
बरेली (आंवला नगर सहित)	स्वीकृत (सं.)	5,61,460	43,071	126
	संस्थापित	87,876	6,143	398

(iv) केंद्र एवं राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 2020-21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.04% रह गई हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर औसत आपूर्ति लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) के बीच का अंतर 0.69 रूपये प्रति किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रू. प्रति किलोवाट घंटा रह गया है। आपूर्ति की विश्वसनीयता में भी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में देश में औसतन प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति अवधि ग्रामीण क्षेत्रों में 22.6 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 23.4 घंटे हो गई है। इन समेकित प्रयासों के फलस्वरूप डिस्कॉम ने पहली बार 2,701 करोड़ रूपये का कर-पश्चात लाभ अर्जित किया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 990

अनुबंध

दिनांक 31.03.2025 तक डिस्कॉम के अनुसार वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंड

राज्य/ डिस्कॉम	एटीएंडसी हानि (%)	एसीएस-एआरआर अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)	संचित अधिशेष/ (हानि) (करोड़ रुपये)	कुल उधार (करोड़ रुपये)
राज्य क्षेत्र	**15.40**	**0.11**	**(6,77,561)**	**7,11,402**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**24.14**	**2.22**	**-**	**-**
अंडमान और निकोबार पीडी	24.14	2.22	-	-
आंध्र प्रदेश	**7.87**	**(0.15)**	**(29,420)**	**77,583**
एपीसीपीडीसीएल	7.95	(0.62)	(9,688)	21,204
एपीईपीडीसीएल	7.70	(0.02)	(7,155)	20,693
एपीएसपीडीसीएल	7.99	(0.01)	(12,577)	35,687
अरुणाचल प्रदेश	**46.20**	**0.00**	**-**	**-**
अरुणाचल प्रदेश पीडी	46.20	0.00	-	-
असम	**15.44**	**(0.26)**	**(1,028)**	**1,131**
एपीडीसीएल	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
बिहार	**15.51**	**(0.41)**	**(16,526)**	**14,002**
एनबीपीडीसीएल	14.49	(0.57)	(4,917)	6,509
एसबीपीडीसीएल	16.35	(0.28)	(11,608)	7,494
छत्तीसगढ़	**14.25**	**(0.19)**	**(10,423)**	**5,428**
सीएसपीटीसीएल	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
दिल्ली	**8.36**	**(0.86)**	**-**	**-**
एनडीएमसी	8.36	(0.86)	-	-
गोवा	**10.39**	**0.20**	**-**	**-**
गोवा पीडी	10.39	0.20	-	-
गुजरात	**8.25**	**(0.40)**	**7,355**	**258**
डीजीवीसीएल	4.26	(0.46)	2,507	26
एमजीवीसीएल	8.37	(0.24)	877	9
पीजीवीसीएल	12.73	(0.44)	2,276	208
यूजीवीसीएल	6.16	(0.33)	1,695	15
हरियाणा	**11.76**	**0.10**	**(27,915)**	**20,311**
डीएचबीवीएनएल	12.20	0.03	(13,052)	12,099
यूएचबीवीएनएल	11.12	0.20	(14,862)	8,213
हिमाचल प्रदेश	**19.44**	**0.23**	**(3,391)**	**7,024**
एचपीएसईबीएल	19.44	0.23	(3,391)	7,024
झारखंड	**28.19**	**0.95**	**(20,512)**	**22,381**

जेबीवीएनएल	28.19	0.95	(20,512)	22,381
कर्नाटक	**11.92**	**0.69**	**(34,980)**	**47,993**
बेस्कॉम	12.50	1.21	(13,819)	22,611
चेस्कॉम	8.76	0.36	(4,064)	5,410
गेस्कॉम	13.48	0.10	(5,661)	6,147
हेस्कॉम	12.14	0.23	(11,398)	12,251
मेस्कॉम	10.02	(0.00)	(37)	1,575
केरल	**6.61**	**(0.17)**	**(38,648)**	**17,638**
केएसईबीएल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
टीसीईडी	6.94	(0.13)	-	-
लद्दाख	**26.82**	**(0.89)**	**-**	**-**
लद्दाख पीडी	26.82	(0.89)	-	-
मध्य प्रदेश	**22.76**	**(0.04)**	**(71,394)**	**49,239**
एमपीमाकेवीवीसीएल	29.60	0.22	(30,900)	18,176
एमपीपाकेवीवीसीएल	12.78	(0.36)	(12,503)	14,184
एमपीपोकेवीवीसीएल	26.66	0.02	(27,992)	16,878
महाराष्ट्र	**17.69**	**0.56**	**(35,671)**	**90,659**
बीईएसटी	5.07	0.60	-	-
एमएसईडीसीएल	18.09	(0.70)	(35,671)	90,659
मणिपुर	**12.90**	**(0.20)**	**(290)**	**745**
एमएसपीटीसीएल	12.90	(0.20)	(290)	745
मेघालय	**17.52**	**0.13**	**(4,962)**	**1,474**
एमईपीडीसीएल	17.52	0.13	(4,962)	1,474
मिजोरम	**32.31**	**(0.34)**	**-**	**-**
मिजोरम पीडी	32.31	(0.34)	-	-
नागालैंड	**48.86**	**(0.50)**	**-**	**-**
नागालैंड पीडी	48.86	(0.50)	-	-
पुडुचेरी	**14.72**	**(0.64)**	**-**	**-**
पुडुचेरी पीडी	14.72	(0.64)	-	-
पंजाब	**19.21**	**(0.30)**	**(3,404)**	**17,411**
पीएसपीसीएल	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
राजस्थान	**15.18**	**(0.04)**	**(90,303)**	**98,488**
एवीवीएनएल	9.22	(0.45)	(25,563)	26,126
जेडीवीवीएनएल	21.42	0.02	(34,689)	36,793
जेवीवीएनएल	13.75	0.18	(30,052)	35,569
सिक्किम	**21.84**	**0.33**	**-**	**-**
सिक्किम पीडी	21.84	0.33	-	-
तमिलनाडु	**10.96**	**(0.19)**	**(1,19,153)**	**1,01,782**
टीएनपीडीसीएल	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
तेलंगाना	**19.84**	**0.27**	**(69,741)**	**59,230**

टीएसएनपीडीसीएल	23.22	0.53	(21,399)	21,885
टीएसएसपीडीसीएल	18.51	0.17	(48,342)	37,345
त्रिपुरा	**29.61**	**1.40**	**(991)**	**842**
टीएसईसीएल	29.61	1.40	(991)	842
उत्तर प्रदेश	**19.54**	**0.73**	**(1,00,858)**	**61,395**
डीवीवीएनएल	19.70	1.03	(33,974)	16,412
केस्को	14.29	1.09	(5,232)	2,243
एमवीवीएनएल	17.70	1.11	(25,236)	14,338
पीएवीवीएनएल	11.91	(0.29)	(8,782)	6,562
पुवीवीएनएल	30.70	1.30	(27,634)	21,840
उत्तराखंड	**15.08**	**0.06**	**(5,482)**	**1,729**
यूपीसीएल	15.08	0.06	(5,482)	1,729
पश्चिम बंगाल	**17.17**	**(0.03)**	**174**	**14,658**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	17.17	(0.03)	174	14,658
निजी क्षेत्र	**10.05**	**(0.64)**	**30,351**	**14,975**
दिल्ली	**6.48**	**(1.13)**	**22,184**	**2,914**
बीआरपीएल	6.70	(0.89)	12,892	894
बीवाईपीएल	7.15	(0.95)	5,650	701
टीपीडीडीएल	5.70	(1.58)	3,642	1,319
गुजरात	**3.63**	**(0.42)**	**3,892**	**3,562**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	3.80	(0.30)	3,206	3,354
टोरेंट पावर सूरत	3.24	(0.67)	686	208
महाराष्ट्र	**4.99**	**(2.04)**	**1,245**	**3,818**
एईएमएल	4.99	(2.04)	1,245	3,818
ओडिशा	**17.81**	**0.18**	**1,263**	**4,531**
टीपीएनओडीएल	12.51	(0.06)	480	1,006
टीपीएसओडीएल	23.36	0.82	219	1,498
टीपीडब्ल्यूओडीएल	17.64	0.36	301	1,093
टीपीसीओडीएल	19.11	(0.09)	262	933
उत्तर प्रदेश	**8.48**	**(0.15)**	**1,561**	**0**
एनपीसीएल	8.48	(0.15)	1,561	0
पश्चिम बंगाल	**4.68**	**0.19**	**205**	**151**
आईपीसीएल	4.68	0.19	205	151
कुल योग	**15.04**	**0.06**	**(6,47,210)**	**7,26,378**
